कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email – ee.surajpur@nic.in ee.pwdsuraj@gmail.com Fax No. 07775-266276

ज्ञापन क्रमांक 4315 / तकनीकी / 2020–21 सूरजपुर दिनांक 24/9/2020

प्रति,

वनमण्डालाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल
जिला -- सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of 9.155 Hact. Reserved forest land in favour of Public Work Department Surajpur for Construction of Bhagwanpur to Anandpur Road in Surajpur Forest Division under Forest Conservation Act 1980 in surajpur district in the state of Chhatisgarh.**

संदर्भ :– **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के पत्र क्र. F. No. FC-II/CH-121/1019-NGP/5969 दिनांक 09 / 12 / 2019**

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर द्वारा ग्राम भगवानपुर से आनन्दपुर मार्ग का निर्माण में प्रभावित 9.155 हे. वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रस्ताव में संदर्भित पत्रानुसार अतिरिक्त जानकारी एवं त्रुटियों के सुधान हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है – संदर्भित पत्रानुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :–

1. प्रस्ताव में विभाग द्वार अधिकृत हस्ताक्षर हेतु मुख्य अभियंता द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हेतु कार्यपालन अभियंता एस. के. विश्वकर्मा अधिकृत किया गया था जिसका विवरण एवं प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 2 व 3 में संलग्न है। प्रस्ताव में आवेदक के मांग पत्र में दिनांक का उल्लेखित किया गया है परन्तु अन्य पृष्ठों में त्रुटिवश दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। भाग–1 में दिनांक का उल्लेख कर प्रस्तुत संलग्न क्र. 01 से 06
2. उपरोक्त मार्ग 1980 के पूर्व से ही कच्ची सड़क है जिसका ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जाता है उपरोक्त मार्ग को ग्राम पंचायत द्वार रोजगार गारंटी योजना के तहत मिट्टी एवं मुरूम से मरम्मत समय–समय में किया जाता रहा है।
3. वर्तमान में कच्ची सड़क होने के कारण ग्रामीणों द्वारा उपरोक्त मार्ग का उपयोग किया जाता रहा है। लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर द्वारा उक्त मार्ग का जीर्णोधार व पक्का कर ग्रामीणों को सरल एवं सुलभ आवागमन प्रदान करना है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के आस-पास किसी प्रकार के विकल्प नहीं है अन्य विकल्पों में भी वन भूमि प्रभावित होगी एवं मार्ग निर्माण में अधिक वृक्ष प्रभावित होगें।
4. प्रस्ताव अन्तर्गत परिक्षेत्राधिकारी एवं उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया था अन्य विकल्प नहीं होने एवं मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया उसके उपरान्त ही प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही किया गया है। संलग्न क्रमांक – 07 से 10

उक्त प्रस्ताव हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कलेक्टर सूरजपुर द्वारा ग्राम – बकिरमा, तहसील प्रेमनगर अन्तर्गत खसरा क्र. 780, कुल रकबा 54.34 हे. में से 18.40 हे. दूगनी राजस्व वन भूमि आबंटित की गई है। उक्त भूमि का खसरा, बी.–1 अनुसार शासकीय मद में दर्ज है प्रतिलिपी संलग्न क्र. – 11 से 15

6. भगवानपुर से आनन्दपुर मार्ग में प्रभावित वन भूमि ग्राम भगवानपुर एवं तारकेश्वरपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र की है उपरोक्त में ग्राम भगवानपुर एवं तारकेश्वरपुर में ग्राम सभा का आयोजन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है कलेक्टर सूरजपुर द्वारा प्रदाय वनअधिकार मान्यता अधिनियम 2006 अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदर्स स में भी मूख्य रूप से प्रभावित ग्राम तारकेश्वरपुर एवं भगवानपुर का उल्लेख किया गया है। संलग्न क्र. 16 से 23

7. प्रस्तावित मार्ग में 02 नग आर.सी.सी. स्लैब पुल एवं 24 नग ह्यूम पाई पुलिया निर्मित किय जाना प्रस्तावित है। जिसका दिवरण संलग्न क्र. – 24 से 29

8. प्रस्तावित मार्ग निर्माण में अस्थायी तौर पर निर्माण कार्य के दौरान 10 कुशल, 10 अर्धकुशल एवं 10 अकुशल मानव दिवस प्रतिदिन उत्पन्न होने की संभावना है। कुशल एवं अकुशल मजदूरों का विवरण भाग – 1 में उल्लेख किया गया था। संलग्न क्र. – 30 से 32

9. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ~~द्वारा~~ दिनांक 07.01.2013 को जारी दिशा निर्देश के पालन हेतु वचन पत्र संलग्न क्र. 33

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार,
6 प्रतियों में।

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि.(भ/स) संभाग सूरजपुर

पृ.क्रमांक 4716 /तक./**2020–21** सूरजपुर दिनांक 24/6/2020

प्रतिलिपी –

1– मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सरगुजा परिक्षेत्र, अम्बिकापुर।
2– अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर। की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3– अनुविभागीय अधिकारल लोक निर्माण विभाग उप संभाग प्रेमनगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :– शून्य।

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि.(भ/स) संभाग सूरजपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–673/ 1337 नवा रायपुर, दिनांक 08/07/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

Diversion of 9.155 ha. of Reserved Forest Land in favour of Public Works Department, Surajpur for Construction of Bhagwanpur to Anandpur Road in Surajpur Forest Division under Forest Conservation Act 1980, in Surajpur District in the State of Chhattisgarh - regarding.

पंजीयन क्रमांकः– FP/CG/RAOD/27244/2014

संदर्भः 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक No.FC-II /CH-121/2019-NGP/5969 दिनांक 09.12.2019

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा.चि./न. क्र.–77/2020/ 830 दिनांक 26.06.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर द्वारा 9 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त द्वारा उक्त जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	आपत्ति विवरण	आपत्ति का निराकरण
i	Name of signing Authority has not been mentioned in Part-II and Part-III of Form - A. Further, date of submission in Part-I and Part-III has not been mentioned.	प्रेषित प्रस्ताव के फार्म – A के भाग – I एवं भाग – II – III में आवश्यक सुधार कर छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक क्रमांक – 01
ii	It has been mentioned that there is already kuchha road which is presently being used by villagers accordingly, details of forest approvals, if any taken for use of forest land for non-forestry purpose may be submitted. Further, state Government may submit their specific comments on proposal to be considered as violation of Forest (Conservation) Act, 1980 or otherwise.	प्रस्तावित मार्ग पूर्व से ही कच्ची सडक के रुप में विद्यमान है। उक्त मार्ग का उन्नयन एवं चौडीकरण कार्य वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
iii	Details of alternative alignments explored before finalisation of present alignment has not been submitted. State Government may submit details of alternative alignment	ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा हेतु पूर्व विद्यमान कच्ची सड़क का उन्नयन कर पक्का सडक निर्माण कार्य किया

	explored along with justification for selecting the proposed alternative and reasons for discarding other alternatives.	जाना है । अन्य विकल्पों का परीक्षण इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है।
iv	Examination of proposed alignment over Google Satellite imaginary, it has been found that proposed alignment is bifurcating a large patch of dense forest; however, same can be avoided by shifting proposed alignment further north throught bottleneck forest area. State Government may accordingly explore the possibility of shifting the alignment further north through bottleneck forest area between Anantpur to Bhagwanpur.	प्रस्तावित मार्ग का स्थल निरीक्षण किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -- 02
v	Exact legal status of land identified for CA need to submitted, further, State Government may clarify, whether the land is under the administrative and management control of the State Forest Department or otherwise.	प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम बकिरमा, तहसील प्रेमनगर, अन्तर्गत खसरा क्रमांक 780 कुल रकबा 51.340 हे. में से दोगुना राजस्व वनभूमि 18.400 हे. उपलब्ध कराई गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का वैधानिक स्थिति के संबंध में कलेक्टर, जिला सूरजपुर के द्वारा जारी पत्र की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक क्रमांक – 03
vi	Examination of compliance of Scheduled Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, it has been found tht District Collector has issued certificate for Umeshwarpur village, however, Gram Sabha Resolutions/Forest Rights Committee (s) proceedings have been submitted for Tarkeshwarpur Village; discrepancy may be revisited by State Government.	भगवानपुर से आनंदपुर मार्ग निर्माण में प्रभावित वनभूमि हेतु ग्राम भगवानपुर एवं ग्राम तारकेश्वरपुर के ग्राम पंचायत में ग्रामसभा का आयोजन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। कलेक्टर, जिला सूरजपुर द्वारा वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -- 04
vii	Details of all structures like bridges, minor bridges, culverts (box culverts or/ and underpasses) proposed in forest land may be submitted by State Government.	प्रस्तावित मार्ग के लिए वनक्षेत्र में निर्माण किये जाने वाले पुल एवं अन्य क्रास ड्रेनेज संरचनाओं का विवरण की जानकारी संलग्न है। संलग्नक क्रमांक – 05
viii	Details of employment potential in terms of man days for skilled, semiskilled, and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis hav not been provided.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में अस्थाई तौर पर निर्माण कार्य के दौरान 10 कुशल, 10 अर्धकुशल एवं 10 अकुशल मानव दिवस प्रतिदिन सृजित होने की संभावना है। यह विवरण प्रस्ताव में भी दिया गया है। संलग्नक क्रमांक – 06
ix	An undertaking may be obtained from the User Agency, in accordance with the MoEF&CC's Guidelines dated 07.01.2013	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के गाईडलाईन दिनांक 07.01.2013 के अनुसार वनक्षेत्र में कार्य करने हेतु वचनबद्ध है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक – 07

मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त से प्राप्त जानकारी अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया जानकारी भारत सरकार को उपलब्ध कराने का अनुरोध है ताकि राज्य शासन वन विभाग के पत्र कमांक एफ 5–05/2018/10–2 दिनांक 21.11.2019 द्वारा विषयांकित प्रकरण में चाही गई वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्न– संदर्भित पत्र की छाया प्रति (41 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 8 /07/2020

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 673/1338
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, सरगुजा, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़